लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462023

दूरभाष 0755—2583650, 2583653, 2583659 फैक्स 0755—2583651

ई—मेल: dpividhya@gmail.com

क्रमांक : विद्या/आई/2018/ 1430 — भोपाल, दिनांक 11-5-2018

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
   भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषय :— राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के पत्र पर कार्यवाही।

सन्दर्भ:— संचालनालय महिला सशक्तिकरण म.प्र. का पत्र क्रमांक आईसीपीएस/2017/1959—60 दिनांक 27.03.2018. (प्रतिलिपि संलग्न)

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि संदर्भित पत्र के संलग्न राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का पत्र क्रमांक DO/25019/09/2017-18/NCPCR/RTI/Date 12.02.2018 प्राप्त हुआ है, जिसमें केयर एण्ड़ प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन एक्ट—2015 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा आत्महत्या के अनेक प्रकरण देखने में आए है, जिनमें विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल की फीस जमा नहीं करने के कारण स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण वे आत्महत्या/शाला छोड़ने जैसे कदम उठा लेते है। स्कूली फीस एवं वित्तीय मामला है जो कि पालक एवं स्कूल प्रबंधन के बीच का है, इसके कारण विद्यार्थी को प्रताड़ित न करते हुए पालको से सम्पर्क स्थापित कर आपस में चर्चा कर निराकरण किया जाना चाहिए। कृपया अपने जिले की समस्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधको/प्राचार्यो को उपर्युक्तानुसार निर्देश देवे। कृपया निर्देश का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः—प्रतिलिपि— I

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक : विद्या/आई/ 2018/ 1431 — भोपाल, दिनांक 11-5-2018

प्रतिलिपिः—

1. श्री प्रियंक, कानूनगो, सदस्य, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, 36 जनपथ, नई दिल्ली —110001.
2. [redacted] आयुक्त महिला सशक्तिकरण, म.प्र. जवाहर बाल भवन, सेकेण्ड़ स्टाप, भोपाल म.प्र. को सूचनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

प्रियंक कानूनगो
Priyank Kanoongo
सदस्य
Member

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
नई दिल्ली-110 001
New Delhi - 110 001

NCPCR

DO No.25019/09/2017-18/NCPCR/RTE
Dated: 12.02.2018

Dear Sir,

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has been constituted by the Government of India, as a statutory body under section 3 of the Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005 (No. 4 of 2006) for dealing with the protection of child rights and related matters. Under section 13(1) of the Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005, has provided certain functions to ensure the rights of children.

Reported cases of suicidal deaths of the school students due to harassment for non-payment of school fee and discriminative behavior by the school authorities/ principals/ teachers is a grave concern. The Commission has been receiving numerous complaints from all over the country where children are being harassed by the schools. This is a gross violation of Section 75 of the Juvenile Justice (Care & Protection of children) Act, 2015 of which the NCPCR is the monitoring authority.

It may be mentioned that the school fee is a financial matter between the school authorities and the parents; therefore, it is to be dealt with the parents and not with the children.

This is to request you to issue directions to the private school authorities to deal all the fee related issues with the parents and not with the students and prevent fee related harassments and suicidal deaths amongst the school students.

With regards

Your's faithfully

(Priyank Kanoongo)

Shri Basant Pratap Singh,
Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh Mantralaya,
Vallabh Bhawan, Bhopal-462004
Madhra Pradesh
Email id: cs@mp.nic.in

द्वितीय तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110 001
2nd Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi-110 001
दूरभाष / Ph. : 011-23478251 फैक्स / Fax : 011-23724028
Web : www.ncpcr.gov.in, e-mail: priyank.ncpcr@gov.in, Lodge your complaint at : www.ebaalnidan.nic.in

1 सेट

संचालनालय महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश

महिला भवन, जवाहर बाल भवन,सैकेन्ड स्टॉप तुलसी नगर भोपाल म0प्र0

फैक्स 0755-2577122 Email: icpscheme.we@mp.gov.in

क्र./आईसीपीएस/2017/म.स./ 1959 भोपाल, दिनांक 27/3/18

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
गौतम नगर भोपाल,
मध्यप्रदेश।

विषय :- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नईदिल्ली के पत्र पर कार्यवाही के संबंध में।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नईदिल्ली से प्राप्त संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।(संलग्न) पत्र के माध्यम से अशासकीय स्कूलों के प्रबंधन द्वारा स्कूल शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने के कारण बच्चों का उत्पीड़न किये जाने की आयोग को प्राप्त विभिन्न शिकायत का उल्लेख कर इस संबंध में समस्त अशासकीय स्कूलों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने का लेख किया गया है।

कृपया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नईदिल्ली के पत्र पर कार्यवाही कर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन सीधे आयोग को उपलब्ध करवाते हुए एक प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
महिला सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

क्र./आईसीपीएस/2017/ 1960 भोपाल, दिनांक 27/3/18

प्रतिलिपि:

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नईदिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
महिला सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

PA/CPI/M/128
27.3.18

598
28/3/18

27 MAR 2018